न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 176/2016

देवीलाल पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी सोमासर हाल चक 4 एस.एम.आर. खेत में ढाणी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । **––अपीलार्थी**

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र मोडूराम जाति जाट निवासी सोमसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़। **––रेस्पोंडेन्ट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–रा.अधि. 1956

विरूद्ध उपखंड अधिकारी सूरतगढ़

दिनांक 06.04.2016

उपस्थितिः–

श्री राजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक अपीलांट

श्री अजय अरोड़ा अभिभाषक रेस्पो.

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 29.09.2017**

अपीलांट द्वारा यह अपील भूमि आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 06.04.2016 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा रेस्पो.सं. 1 को चक 4 एस.एम.आर. के प.न. 115/13 के कि.न. 10 से 13 की 1.012 है0 भूमि का आवंटन बतौर स्मालपैच में किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि इसी मुरब्बा की 10 बीघा भूमि का अपीलांट खातेदार है इसके अलावा रामेश्वर, सरस्वती, तुलछा 6 बीघा के खातेदार है। आवंटन से पूर्व अधी.न्यायालय ने चिपते हुए

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

काश्तकारों को न तो नोटिस दिया और न ही उन्हें सुना गया। अधी.न्यायालय द्वारा नियम विरूद्ध रेस्पो. को आवंटन किया गया है। अपीलार्थी को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि स्मालपेच के आवंटन के मामलों में कब्जा होने पर किसी की प्राथमिकता नहीं बनती है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र ही नहीं दिया था इसलिए अपीलांट अपीलाधीन आदेश को चुनौती देने का अधिकारी नहीं है। रेस्पो. द्वारा आवंटन का प्रा.पत्र पेश करने पर उसकी जांच के पश्चात रेस्पों. को आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन किया है जो उचित है। अतः अपील खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं जिसका खण्डन रेस्पों. ने जबाव प्रा.पत्र पेश करके नहीं किया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 06.04.2016 के विरूद्ध दिनांक 04.08.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित हैं उनको

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में विलम्ब को माफ किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जाती है।

अपीलांट की अपील का मुख्य आधार है कि छोटी पट्टी का आवंटन Rajasthan colonisation (Allotment & sale of government land in Indira gandhi canal coloniy area) Rules 1975 के नियम 14 के तहत आवंटन किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2017 पेज 530 भिराई बनाम राखु खां आदि निर्णय दिनांक 7.10.2016 के अनुसार छोटी पट्टी आवंटन के लिए 1975 के नियमों के नियम 8, 9, 10, 11 की पालना Mandatry है के सम्बन्ध में अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय द्वारा नियम 8 की पालना में कार्यक्रम जारी नहीं किया बाकी प्रकियाये पूर्ण की है। अतः Mandatry प्रावधानों की आंशिक रूप से पालना की है साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि रेस्पों. द्वारा धारित भूमि का रकबा 6.325 है0 है एवं छोटी पट्टी आवंटन पश्चात 7.327 है0 होकर 25 बीघा से ज्यादा होता है जिसके लिए परन्तुक है कि " Provided that if small patch is alloted to a landless person to raise his holding to 25 Bhiga the price and mode of payment shall be as prescribed in Rule 17" जो अधी.न्यायालय आवंटन अधिकारी द्वारा इस Mandatry प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी.न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि नियम 1975 के नियम 8, 9, 10, 11 की नये सिरे से पालना कर नियम 14 की पालना कर आवंटन कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर